अशोक गहलोत
मुख्यमंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सचिन पायलट
उपमुख्यमंत्री, राजस्थान

प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

योजना की सामान्य जानकारी एवं आवास निर्माण की

मार्ग-दर्शिका

(लाभार्थियों के लिए)

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी
Website: rdprd.gov.in, pmayg.nic.in

प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ''सब के लिए आवास-2022'' का लक्ष्य पाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण प्रारम्भ की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत :-

1. लाभार्थी को यह अनुदान बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास बनाने के लिए दिया जा रहा है।
2. आवास कम से कम 25 वर्गमीटर (269 वर्गफीट) क्षेत्रफल में बनाएं, जिसमें स्वच्छ रसोई भी शामिल है।
3. आवास निर्माण का कार्य अधिकतम एक वर्ष में पूर्ण कराना होगा।
4. लाभार्थी की सुविधा के लिए आवास निर्माण में सहायतार्थ ''आवास सहायक/टैग अधिकारी'' लगाये गये है, जो योजनान्तर्गत देय अनुदान राशि, अन्य योजनाओं से देय लाभ/सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता उपलब्ध करायेगा।
5. आवश्यकता होने पर पंचायत समिति में कार्यरत कनिष्ठ अभियंता/कनिष्ठ तकनीकी सहायक आपको तकनीकी मार्ग-दर्शन प्रदान करेंगे।
6. रु. 1,20,000 की अनुदान राशि के अलावा आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवस का पारिश्रमिक राशि रु. 17,910 तक देय होगी।
7. राशि पी.एफ.एम.एस. प्रणाली से सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में भुगतान की जावेगी।
8. इच्छुक लाभार्थी, आवास निर्माण कार्य हेतु बैंक से रु. 70,000 तक का ऋण प्राप्त कर सकते है, इस के लिए ''आवास सहायक/टैग अधिकारी'' सहायता करेंगे।

पात्रता

''प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण'' के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना-2011 (SECC-2011) डाटा के आधार पर ग्राम सभा से अनुमोदित तैयार वरीयता सूची के परिवार पात्र होगे। जिसमें आवासहीन, कच्चा आवासधारी (एक कमरे एवं दो कमरे का कच्चा आवास) परिवार जिन्हे पूर्व में किसी अन्य आवास योजना से लाभ प्राप्त नही हुआ है, पात्र होंगे।

परिवार की पात्रता निम्न 14 मापदण्ड न होने पर ही मान्य होगी।

1. मोटर साईकिल दुपहिया/तिपहिया/चौपहिया वाहन/मछली नाव होने पर।
2. मेकेनाईज्ड तिपहिया/चौपहिया वाहन कृषि उपकरण होने पर।
3. किसान कैडिट कार्ड, कैडिट सीमा 50 हजार या उससे अधिक होने पर।
4. परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होने पर।
5. परिवार के गैर कृषि उद्धमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने पर।
6. परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम रुपये 10 हजार प्रति माह या अधिक होने पर।
7. इन्कम टेक्स देने पर।
8. व्यावसायिक कर देने पर।
9. स्वयं का रेफ्रिजरेटर होने पर।
10. स्वयं का लेण्डलाईन फोन होने पर।
11. स्वयं 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने पर।
12. 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के मालिक के साथ दो या अधिक मौसमी फसल होने पर ।
13. 7.5 एकड भूमि के साथ या अधिक, का एक सिचाई उपकरण के साथ होने पर।
14. किसी अन्य आवास योजना से पूर्व में लाभान्वित होने पर।

उक्तानुसार ग्राम पंचायतवार/वर्गवार पात्रता सूचियां तैयार कर लाभार्थी के नाम के आगे सम्भावित स्वीकृति वर्ष का अंकन किया जावेगा।

मूल वरीयता सूची में शामिल लेकिन सत्यापन उपरान्त अपात्र परिवारों के सम्मुख अपात्रता के कारण स्पष्ट उल्लेखित/अंकन किया जावेगा। ग्राम पंचायतवार वरीयता सूचीयों की संकलित प्रति पंचायत समितिवार तैयार कर सार्वजनिक स्थलों/जनप्रतिनिधियों/राजकीय कार्यालयों में आमजन हेतु अवलोकनार्थ उपलब्ध कराई जावेगी।

आवास स्वीकृति प्रक्रिया

- ग्राम विकास अधिकारी एवं पदेन सचिव अथवा आवास सहायक/टैग अधिकारी पात्र परिवार का आवेदन निम्न दस्तावेज के साथ तैयार कर पंचायत समिति को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगें।
  1 आवेदक का फोटो
  2 सीबीएस बैंक पास बुक की फोटो प्रति
  3 प्रस्तावित निर्माण की जमीन से सम्बंधित विवरण की प्रति।
  4 नरेगा जॉब कार्ड की फोटो प्रति।
  5 आधार कार्ड की फोटो प्रति मय सहमति।
  6 मोबाईल नम्बर (स्वयं का या परिचित का मोबाईल नम्बर)

SECC-2011 की जनगणना के आधार पर तैयार अन्तिम वरीयता सूची से पात्र परिवारों की ग्राम पंचायत को आवंटित लक्ष्यानुसार वरीयता क्रम में लाभार्थी के वर्तमान निवास स्थान एवं आवास निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल का मोबाईल एप्प "AwaasApp" की सहायता से टैग अधिकारी की निगरानी में आवाससॉफ्ट पर फोटो अपलोड करने पर स्वीकृति के साथ पीएफएमएस के माध्यम से प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी के खाते में हस्तान्तरित की जावेगी।

यदि लाभार्थी के पास आवास निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है तो सम्बन्धित पंचायत समिति द्वारा भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत को पत्र जारी कर निर्देशित किया जावेगा, जिसकी प्रति आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराना अनिवार्य है एवं इसके उपरान्त भूमिहीन लाभार्थी की भी स्वीकृति जारी की जावेगी, इस क्रम में लाभार्थी/ग्राम पंचायत से भू-खण्ड आवंटन के दस्तावेज प्राप्त होने एवं आवाससॉफ्ट पर अपलोड कराने पर ही देय प्रथम किश्त की राशि लाभार्थी को जारी की जावेगी।

महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत 90 मानव दिवस हेतु मस्टररोल जारी करना :-

आवाससॉफ्ट से जारी स्वीकृति के साथ ही नरेगा सॉफ्ट में वर्ककोड जनरेट हो जाता है। अत: ग्राम पंचायत स्तर से ही महात्मा गांधी नरेगा से स्वीकृति के साथ ही आवास हेतु मस्टररोल जारी कर दी जावेगी, जिससे नींव खुदाई कार्य प्रारम्भ कराया जावे चाहे योजनान्तर्गत प्रथम किश्त की राशि जारी होना प्रक्रियाधीन हो।

लाभार्थी को देय अनुदान

अनुदान राशि तीन किश्तों में दी जावेगी, जो एफटीओ के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। लाभार्थी बैंक खाते को बन्द न होने दे, ऋण खाते में परिवर्तित न करावे।

टैग अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी के माध्यम से निर्माण के स्तर की जीओं – टैग फोटो अपलोड करना आवश्यक है। लाभार्थी स्वयं भी अपने पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर ओटीपी पासवर्ड प्राप्त करके फोटो अपलोड कर सकते है।

स्वीकृति वर्ष	प्रथम किश्त	द्वितीय किश्त	तृतीय किश्त
वर्ष 2016-17 में स्वीकृत (देय राशि रुपये)	30,000	60,000	30,000
वर्ष 2017-18 एवं18-19 में स्वीकृत (देय राशि रुपये)	30,000	48,000	42,000
वर्ष 2019-20 से स्वीकृत (देय राशि रुपये)	15000	45,000	60,000
किश्त प्राप्ति का समय	स्वीकृति के साथ	कुर्सी/दासा स्तर तक आवास निर्माण पूर्ण होने पर	आरसीसी/पट्टी की छत निर्माण कार्य पूर्ण होने पर

लाभार्थी के कर्तव्य

- लाभार्थी को प्रथम किश्त प्राप्ति की दिनांक से अधिकतम 1 वर्ष की अवधि में आवास निर्माण का कार्य पूर्ण कराना होगा।
- निर्मित आवास पर योजना का लोगो (प्रतीक चिन्ह) लगाने पर ही पूर्ण माना जावेगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय प्रस्तावित निर्माण स्थल में परिवर्तन अनुमत नहीं होगा।
- लाभार्थी द्वारा स्वीकृति के समय उपलब्ध कराये गये बैंक खाते का विवरण स्वीकृति उपरान्त सक्षम स्तर से अनुमति पर एक बार ही परिवर्तन हो सकेगा। अत: खाते को आवास पूर्ण होने तक परिचालन में रखना आवश्यक होगा।
- प्रथम किश्त प्राप्ति के एक वर्ष उपरांत भी आवास निर्माण नहीं कराये जाने पर अनुदान राशि स्वत: ही बंद होने का प्रावधान, जिसको सक्षम स्तर से ही बढाने का प्रावधान है।

योजनाओं की सामान्य जानकारी हेतु "मोबाईल ऐप"

➢ "आवास ऐप"

- गूगल प्ले स्टोर/ऐपल स्टोर से डाउनलोड करे
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के लाभार्थी स्वयं को जारी किश्तों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
- लाभार्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त कर द्वितीय व तृतीय किश्त हेतु आवास की फोटो अपलोड कर सकता है।

➢ "ग्राम संवाद ऐप"

- गूगल प्ले स्टोर/ऐपल स्टोर से डाउनलोड करे

ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं यथा EGS, PMAY-G, DAY, NRLM, PMGSY, NSAP, DDYGKY, NRUM व 14 Finance commission की जानकारी मोबाईल फोन पर प्राप्त करें।

ऐप डाउनलोड करने के उपरान्त अपने मोबाईल नम्बर को रजिस्ट्रेशन करने के बाद उक्त पेज प्रदर्शित होगा आप जिस जिले, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के निवासी है, उसका चयन करे।

उसके उपरान्त उक्त पेज प्रदर्शित होगा।
आप द्वारा जिस किसी भी योजना की जानकारी चाही जा रही है। उस योजना के लोगों पर क्लिक करे।

उदाहरण के तौर पर PMAY-G आवास पर क्लिक करने पर योजना की सूचना, आकडे, संबंधित व्यक्ति की जानकारी प्राप्त होगी।

उक्त के अलावा ग्राम पंचायत के सभी लाभार्थियों की सूची, स्वीकृति घर, पहली, दूसरी एवं तीसरी किश्त भुगतान व पूर्ण किये गये आवास की सूची प्रदर्शित होगी।

लाभार्थियों की सूची पर क्लिक करने पर उक्त सूची प्रदर्शित होगी।

स्वीकृत घर पर क्लिक करने पर उक्त सूची प्रदर्शित होगी।

पहली किश्त भुगतान पर क्लिक करने पर उक्त सूची प्रदर्शित होगी।

द्वितीय किश्त भुगतान पर क्लिक करने पर उक्त सूची प्रदर्शित होगी।

तीसरी किश्त भुगतान पर क्लिक करने पर उक्त सूची प्रदर्शित होगी।

पूर्ण किये गये घर पर क्लिक करने पर उक्त सूची प्रदर्शित होगी।

अन्य योजनाओं के तहत देय अतिरिक्त लाभ

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना :-

- स्वीकृत आवास निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार 90 अकुशल मानव दिवस के रूप में अधिकतम राशि रु. 17910/- देय है।

क्र.सं.	अवस्था	अनुमत मानव दिवस	देय राशि अधिकतम (रुपये में)
1	कुर्सी लेवल तक अधिकतम	28	रु. 5572/-
2	कुर्सी से लिंटल लेवल तक अधिकतम	24	रु. 4776/-
3	लिंटल लेवल से छत लेवल तक अधिकतम	10	रु. 1990/-
4	छत लेवल से फिनिशिंग तक अधिकतम	28	रु. 5572/-
	कुल योग	90	रु. 17910/-

- राशि 3.00 लाख तक महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानानुसार अनुमत कार्य भूमि सुधार, कृषि/उद्यानिकी, लघु सिंचाई लाभार्थी द्वारा कराये जा सकते है।
- उक्तानुसार अनुमत कार्यों को आवास के साथ पशु छाया गृह (केटल शेड हेतु) निर्माण कार्य भी कराया जा सकता है।

पेयजल की सुविधा

जन स्वास्थ अभियांत्रिकी विभाग द्वारा क्रियान्वित NRDWP के प्रावधानानुसार स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध।

विद्युत कनेक्शन

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के प्रावधानानुसार विद्युत कनेक्शन की सुविधा।

राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तित योजना

योजनाओं के प्रावधानानुसार सोलर, लालटेन/सोलर लाईट/सोलर स्ट्रीट लाईट एंव उन्नत चूल्हा उपलब्ध।

बैंक से आवास ऋण

राशि रु. 70, 000/- तक, इच्छुक लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा।

टैग अधिकारियों के दायित्व

1 लाभार्थी की पात्रता की जांच हेतु ग्राम विकास अधिकारी एवं टैग अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे अर्थात लाभार्थी की पात्रता की जांच निर्धारित 14 बिन्दुओं के आधार पर करने के उपरान्त ही पंचायत समिति को पंजीकरण/स्वीकृति हेतु आवेदन प्रेषित किया जावे।

2 पात्र लाभार्थी के पंजीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड (मय सहमति), जॉब कार्ड, सीबीएस बैंक खाते की पासबुक की फोटो प्रति, स्वयं के या परिचित के मोबाईल नम्बर, लाभार्थी का फोटो एवं आवास निर्माण स्थल का जिओ टैग फोटो अपलोड करना।

3 लाभार्थियों के प्रशिक्षण में आवास के विभिन्न नक्शों एवं इसमें प्रयुक्त सामग्री श्रम आदि की जानकारी देना तथा श्रम सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करना।

4 लाभार्थी के पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र पंचायत समिति में आवास सॉफ्ट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत करना, लाभार्थी के आवास स्वीकृति जारी होने पर महात्मा गांधी नरेगा से फार्म नं. 6 प्रस्तुत कर मस्ट्रोल उपलब्ध कराना, कार्य समाप्ति पर मस्ट्रोल प्रस्तुत करना।

5 नियमित अंतराल पर लाभार्थी के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर लाभार्थी को आ रही कठिनाईयों का निराकरण करना।

6 लाभार्थी की द्वितीय एवं तृतीय किश्त हेतु जिओ टैग फोटो आदि के साथ निर्धारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लाभार्थी को देय अनुदान दिलवाना।

7 लाभार्थी एवं ग्रामवासियों हेतु टैग अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता हेतु मैसन प्रशिक्षण बाबत प्रशिक्षणार्थियो को चिन्हित किया जावे। योजना के अंतर्गत मैसन प्रशिक्षण अकुशल श्रमिकों हेतु 45 दिवस एवं पूर्व में मैसन का कार्य कर रहे श्रमिकों का 10 दिवस का मैसन प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा।

कृपया ध्यान दे :-

- सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना (SECC-2011 डाटा) के आधार पर तैयार वरीयता सूची के वरीयता क्रमानुसार, आवास स्वीकृति जारी की जाती है।
- योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतवार, वरीयता सूची ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शित है। पंचायत को आवंटित लक्ष्य अनुसार वरीयता के आधार पर स्वीकृति जारी की जाती है।
- सभी पात्र लाभार्थियों को वरीयता अनुसार योजनान्तर्गत लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है। वरीयता सूची के अनुसार स्वीकृति जारी होने के सम्भावित वर्ष की जानकारी ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा दी जावेगी।
- यदि वरीयता सूची में आपके बाद के लाभार्थी को आवास स्वीकृत कर दिया गया है तो अविलम्ब पंचायत समिति/जिला परिषद /राजस्थान सम्पर्क पोटल – फोन नम्बर 181 पर शिकायत दर्ज करें।
- आवास निर्माण/अनुदान प्राप्ति में लाभार्थी की सहायता हेतु टैग अधिकारी/आवास सहायक नियुक्त किया जावेगा।
- स्वीकृति के उपरान्त ग्राम पंचायत/लाभार्थी को ग्राम पंचायत पर प्रशिक्षण आयोजित कर योजना की पूर्ण जानकारी से अवगत कराया जावेगा।
- आवास निर्माण के विभिन्न तरह की सुन्दर व सस्ती डिजाईन की तकनीक व नक्शे टैग अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण में उपलब्ध कराये जायेंगे।
- स्वीकृति उपरान्त महात्मा गांधी नरेगा से अनुमत मानव दिवस की मस्ट्रोल जारी कर दी जावेगी जिससे नींव खुदाई का कार्य कराया जा सकें। मस्टरोल जारी होने अथवा मस्टरोल के भुगतान में कोई समस्या/कठिनाई हो तो टैग अधिकारी का सहयोग लेंवे।
- लाभार्थी "AwaasApp" का उपयोग कर स्वयं सीधे ही मोबाईल फोन से फोटो प्रस्तुत करता है तो मोबाईल से प्रेषित फोटों के आधार पर (बिना टैग अधिकारी की रिपोर्ट के) ही प्रथम किश्त की राशि अधिकतम 7 दिवस में सीधे लाभार्थी के खाते में पंचायत समिति से जारी हो जावेगी। अत: आप अनुदान किश्त प्राप्त करने हेतु यथा सम्भव मोबाईल एप "AwaasApp" का उपयोग कर स्वयं आवेदन करें।

- कुर्सी तक का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त टैग अधिकारी की रिपोर्ट/मोबाईल-ऐप से प्रेषित फोटो के आधार पर द्वितीय किश्त की राशि पंचायत समिति द्वारा जारी की जावेगी।
- आवास के छत तक का कार्य एवं शौचालय निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त टैग अधिकारी/मोबाईल-ऐप से प्रेषित फोटों की रिपोर्ट के आधार पर तृतीय किश्त की राशि पंचायत समिति द्वारा जारी की जावेगी। लाभार्थी से अपेक्षा है कि अन्तिम किश्त के आवेदन से पूर्व टैंग अधिकारी की सहायता से निर्मित आवास पर योजना का लोगो (प्रतीक चिन्ह) अवश्य लगायें।

आवास डिजाईन

- लाभार्थी इस पुस्तिका में दिये गये आवास डिजाईनों में से किसी भी एक अथवा अपनी सुविधानुसार अन्य डिजाईन का आवास बना सकते है।
- आवास में निम्न बुनियादी सुविधाएं रखा जाना आवश्यक है :-

  1. कम से कम 25 वर्गमीटर (269 वर्गफीट) का क्षेत्रफल
  2. शौचालय
  3. सुविधाजनक रसोई
  4. गैस का चूल्हा स्टोव हेतु प्लेटफार्म
- आवास में अतिरिक्त सुविधाएं स्नान घर, नल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, चारदीवारी जोडने की कोशिश करें।
- सामने की दीवार पर 80 सेमी × 80 सेमी की जगह में योजना का ''लोगो'' बनाना अनिवार्य होगा।
- मच्छरों से बचाव हेतु आवास के दरवाजों में बारीक जाली लगाई जाए, ताकि मलेरिया से बचाव हो।
- लाभार्थी यह भी सुनिश्चित करें कि आवास के आस-पास गंदगी या पानी इकठ्ठा न हो, पानी की निकासी का समुचित उपाय हो।
- लाभार्थी आवास निर्माण के पूर्व स्वयं का, रहवास स्थल का फोटो एवं जहां पर आवास निर्माण करना चाहता है, उस स्थान का फोटो अपलोड करेगा। इसके उपरान्त ही स्वीकृति जारी हो सकेगी।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य में प्रचलित आवास निर्माण स्थानीय तकनीकी का आई. आई. टी. नई दिल्ली द्वारा अध्ययन कराकर प्रोटोटाईप नक्शे तैयार कराकर उपलब्ध कराये गये है, जो लाभार्थियों के मार्गदर्शन एंव उपयोग हेतु निम्नानुसार है :-

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 1

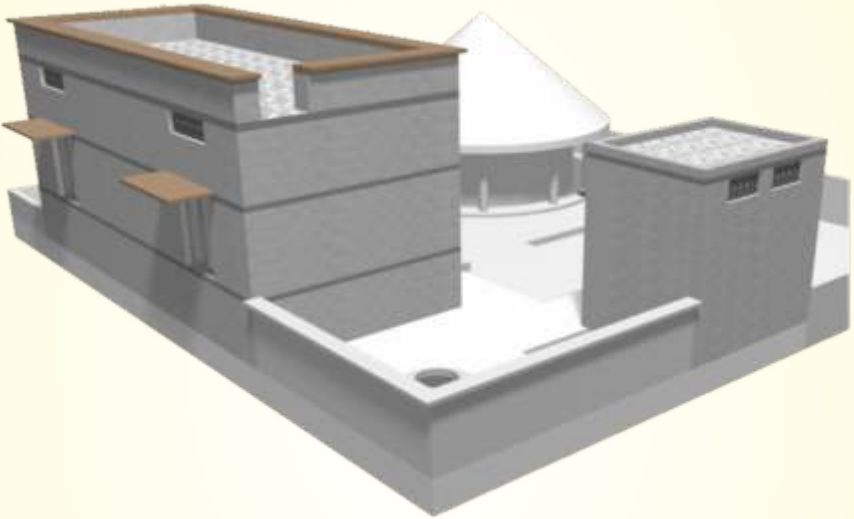

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 1 (प्लान)

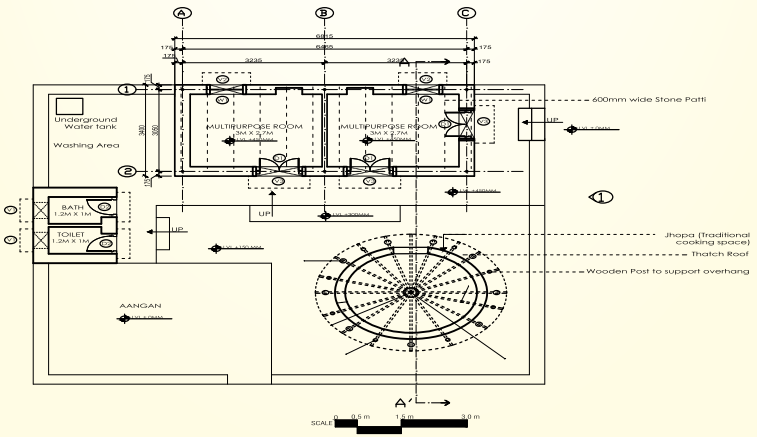

TYPICAL PLAN

मॉडल डिजाईन - 1 (अनुमानित लागत)

लागत अनुमान जोन-ए-डिजाइन 01 के लिए

सामग्री एवं तकनीक	
छत	सीमेन्ट –बजरी मसाले में पॉइन्टिग सहित पत्थर की पट्टी
दीवार	सीमेन्ट / सीमेन्ट –बजरी मसाले में बेरद्धा पत्थर की चिनाई
नीव	सीमेन्ट मसाले में बेरद्धा पत्थर की चिनाई

क.सं.	मकान के अवयव	श्रमिक लागत	कुल लागत (श्रम + सामग्री)
1.	नींव	8390	39979
2.	आर.सी.सी. की दीवार बैन्ड सहित कुर्सी, लिन्टल तथा छत का बैन्ड	1448	10883
3.	दीवारें	11640	53373
4.	छत का कार्य	9336	28289
5.	छत की फिनिशिंग		
6.	खिडकी एवं दरवाजें	766	12895
7.	छज्जा	959	2793
8.	फर्श	928	12835
9.	दीवार फिनिशिंग	2356	6293
	योग	35824	167343
	निर्मित क्षेत्र की लागत		167343

नोट – ग्रामीण विकास विभाग की जिला बाडमेर की बीएसआर पर आधारित।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 2

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 2 (प्लान)

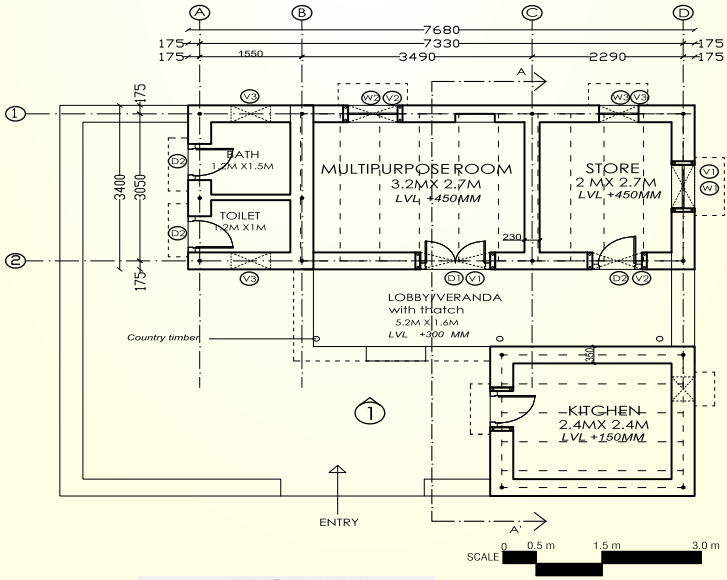

TYPICAL PLAN

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 3

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 3 (प्लान)

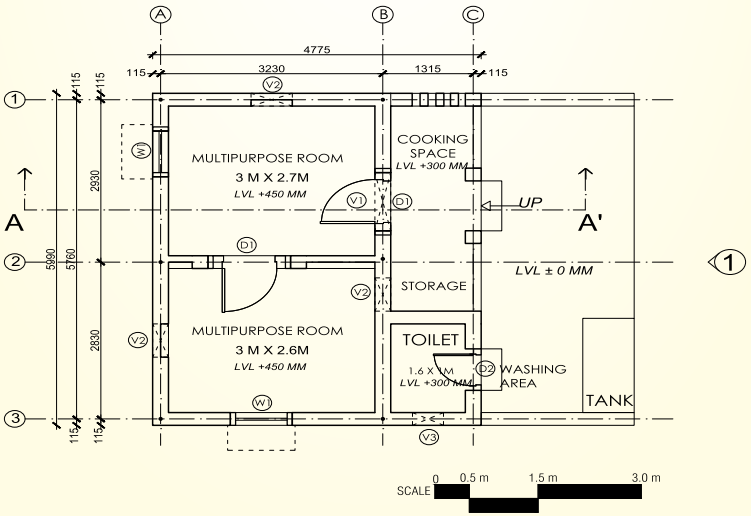

TYPICAL PLAN

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 4

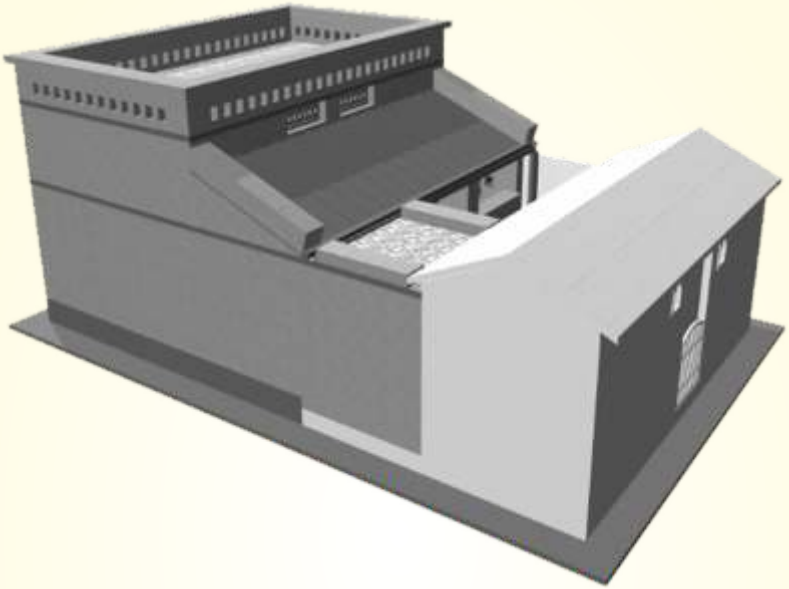

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 4 (प्लान)

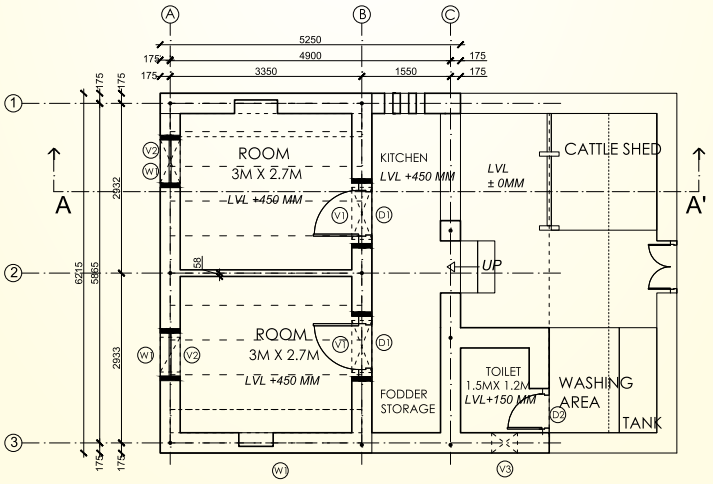

TYPICAL PLAN

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 5

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण : मॉडल डिजाईन - 5 (प्लान)

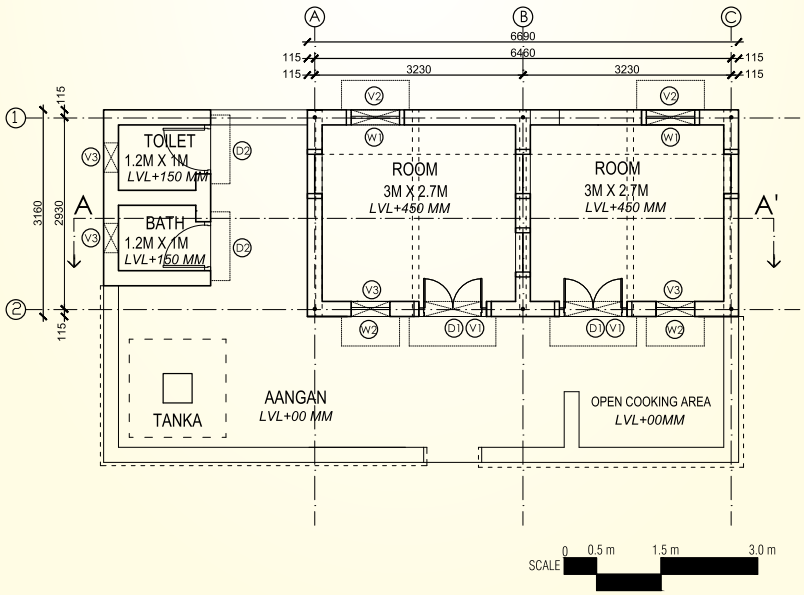

TYPICAL PLAN

1. भूकम्परोधी सामर्थ्य का मूल्यांकन (Assessment)

भूकम्परोधी आवास निर्माण हेतु लाभार्थी को जानकारी एवं ध्यान रखने वाले मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1.1 मूल्यांकन का आधार

भारतीय मानक संस्थान द्वारा प्रकाशित संहिता IS : 4326-1993, में ईंट जोड़ाई भारवाहक दीवार वाले भूकम्परोधी भवनों के नवनिर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान वर्णित हैं। गामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रकाशित ''भूकम्प से सुरक्षित ईंटजोड़ाई वाले भवनों की मार्गदर्शिका मे भी इन प्रावधानों का विवरण दिया गया है।

वर्तमान भवनों की भूकम्परोधी क्षमता ज्ञात करने के लिये, कोड के सुरक्षा प्रावधानों से, वर्तमान भवन की सीधे-सीधे तुलना की जा सकती है। यदि भवन की वर्तमान स्थिति कोड एवं प्रावधानों को पूरा करते हैं, तो भवन को सुरक्षित माना जा सकता है, अन्यथा कमजोर एवं असुरक्षित मानकर, IS : 13935-1993 के मार्गदर्शन में रेट्रोफिटिंग करना चाहिए।

ईंट जोड़ाई के दीवारों में IS : 1905-1987, "Code of Practice for Structural use of Unreinforced Masonry" प्रावधानों को सन्निहित करना चाहिए।

1.2 भूकम्परोधी संरचना व्यवस्था

(i) मकान की सम्पूर्ण आकृति लगभग आयताकार हो।

(ii) प्लान में, आयताकार खंडों की लम्बाई, इसके चौड़ाई के तीन गुने से कम रहे।

(iii) प्लान में, दोनों दिशाओं में भवन के दीवार एकसमान वितरित एवं Symmetrical रहे।

(iv) जहां तक सम्भव हो, भवन की छत एवं ऊपरी मंजिलें हल्की हो।

(v) निचले मंजिल की दृढ़ता (stiffness) ऊपर की मंजिल से ज्यादा रहे।

(vi) एक मंजिल से दूसरे मंजिल के बीच दृढ़ता में ज्यादा अंतर नहीं रहे।

(vii) ऐंठन से बचाव हेतु center of mass एवं center of rigidity के बीच दूरी कम से कम रहे।

(viii) ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज बलों के नींव की ओर अग्रसर होने का रास्ता सीधा एवं सरल हो।

(ix) बहुत सारे या भवन से अत्यधिक बाहर निकले हुए Cantiliever (छज्जा) नहीं लगाऐं।

(x) सुदृढ़ भवन संरचना भूकम्परोधी होती है। स्टील सरियों के उचित उपयोग से समेकित एवं तन्य (ductile) संरचना बनाये जा सकते हैं।

1.3 ईंट जोड़ाई पर आधारित भवनों के भूकम्प सुरक्षा हेतु सामान्य मार्गदर्शन

(i) 230 से 250 मिलीमीटर मोटाई के भारवाहक दीवार पर आधारित एक से दो मंजिल के भवन ज्यादा सुरक्षित है। मंजिलों की संख्या बढ़ाने पर भूकम्प में निचली मंजिलों के क्षति का खतरा बढ़ जाता है।

(ii) 115 से 125 मिलीमीटर मोटाई के भारवाहक दीवार पर आधारित दो मंजिल के भवन, MSK VIII की भूकम्पीय तीव्रता में पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।

(iii) दीवारों में अत्यधिक खुला भाग (खिड़की, रोशनदान या दरवाजा) मकान को कमजोर करते हैं। खिड़कियों एवं दरवाजों के बीच की दूरी 500 मिलीमीटर से कम रहे पर, क्षति की सम्भावना बढ़ जाती है।

(iv) सीमेंट-बालू का 1:4 अनुपात में बना मसाला, 1:6 अनुपात में बने मसाले की अपेक्षा 2.5 से 3 गुना मजबूत होता है। सीमेंट-बालू का 1:6 अनुपात में बना मसाला, सुर्खी-चूना के मसाले के अपेक्षा, मजबूत होता है।

(v) चिकनी मिट्टी के गारे में बनी ईंट दीवार सबसे कमजोर होती है। बरसात में भीग जाने पर इसकी शक्ति आधी से भी कम रह जाती है। ऐसी दीवारों को वर्षाजल से बचाव हेतु अच्छे से प्लास्टर करना आवश्यक है।

(vi) दो आड़ी दीवारों के बीच लम्बी दीवार, छोटी दीवार की अपेक्षा कमजोर होती है। मोटाई के अनुपात में दीवार की लम्बाई परखनी चाहिए।

(vii) दो मंजिलों के बीच बहुत ऊंची दीवार कमजोर होती है। मोटाई के अनुपात में दीवार की ऊंचाई परखनी चाहिए।

(viii) सभी कमरों के चारों कोनों पर दीवारों के बीच परस्पर समुचित सम्बन्धन होना चाहिए। भूकम्प में अपर्याप्त रूप से जुड़ी दीवार, कोने से आसानी से अलग हो सकती है और पलटकर गिर भी सकती है।

(ix) मकान के सभी अंग यथा नींव, पिलर, बीम, दीवार, छत के ट्रस, छत की छावनी सभी परस्पर पर्याप्त रूप से बंधी रहनी चाहिए, जिससे भूकम्प के दौरान हिलने-डुलने पर, मकान एक इकाई की तरह व्यवहार कर सके।

(x) भारवाहक दीवार पर आधारित ढलान वाले छत कैंची (ट्रस) या कड़ी (रैफ्टर) डालकर बनाये जाते हैं। इन छतों में तिरछा बन्धनी तथा दीवार के साथ पर्याप्त संबंधन होना चाहिए।

(xi) भूकम्प के दौरान खपरैल आसानी से बिखर सकते हैं, अतएव उनके बदले जीआई शीट का उपयोग करना अच्छा होगा।

(xii) False ceilling में हल्के non-brittle सामग्रियों (यथा, बांस की चटाई, मोटे कपड़े, फोम) का उपयोग करना अच्छा होगा।

1.4 नींव

(i) कई भवन जिनकी संरचना भूकम्प सहन करने में सशक्त हैं, कभी-कभी अपर्याप्त नींव निरूपण के कारण नाकाम हो जाती है।

(ii) भूकम्पन में द्रवीकरण के फलस्वरूप, नींव विफल हो सकती है अथवा असमान रूप से बैठ सकती है तथा Superstructure में झुकाव या दरार हो सकती है।

2. भूकम्परोध में कमी एवं रेट्रोफिटिंग के सुझाव

2.1 मंजिलों की संख्या

भूकम्प जोन V में अधिकतम तीन मंजिल तक, भूकम्प जोन IV में अधिकतम चार मंजिल

तक (महत्वपूर्ण भवन केवल तीन मंजिल तक) तथा भूकम्प जोन III में अधिकतम चार मंजिल तक ही भवन अनुमत है, यदि मंजिलों की संख्या ज्यादा हो तो, अतिरिक्त ऊपरी मंजिलें हटा लेनी चाहिए।

2.2 दीवार की ईंटों का दबाव सामर्थ्य (Compressive Strength)

ईंट के compressive strength का मान 35 या 50 kg/cm^2 से कम हो तो, दीवार में आवश्यक आकार का आर.सी.सी. या स्टील का अतिरिक्त पिलर खड़ा कर सकते हैं, अथवा दीवार पर ferrocement plate चढ़ायी जा सकती है या PFRP (polypropylene fibre reinforced plaster) प्लास्टर कराया जा सकता है।

2.3 भारवाहक दीवार की मोटाई

मोटाई 230 मिलीमीटर से कम हो, तो दीवार में आवश्यक आकार का आर.सी.सी. पिलर खड़ा सन्निहित कर सकते हैं, अथवा दीवार पर ferrocement plate चढ़ायी जा सकती है या PFRP प्लास्टर कराया जा सकता है।

2.4 मसाला में सीमेंट-बालू का अनुपात

अनुमत अनुपात : भूकम्प जोन V में 1:4 भूकम्प जोन IV में 1:6 भूकम्प जोन III में 1:6 है। यदि, मसाला कमजोर हो, तो दीवार में आवश्यक आकार के आर.सी.सी. पिलर एवं बीम का प्रावधान कर सकते हैं, अथवा दीवार पर ferrocement plate चढ़ायी जा सकती है या PFRP प्लास्टर कराया जा सकता है।

किसी भी कमरे में दीवार की भीतरी लम्बाई तथा फर्श से छत तक दीवार की ऊँचाई

यदि लम्बाई, दीवार की मोटाई का 35 गुणा (या अधिकतम 8 मीटर) से ज्यादा हो, अथवा ऊँचाई, अपने मोटाई का 15 गुना (या अधिकतम 4 मीटर) से ज्यादा हो, तो दीवारों में समान दूरी

पर (करीब प्रति 4 से 5 मीटर पर) ईंट जोड़ाई से संबंधन करते हुए, भीति स्तम्भ (bultress) बनाकर, आर.सी.सी. बीम के सहारे, सामने के भीति स्तम्भ से बांध देना चाहिए।

दरवाजे एवं खिड़कियों की चौड़ाई तथा उनकी स्थिति

दीवार की मजबूती के लिये, खिड़कियों एवं दरवाजों के आकार को कम से कम रखना चाहिए। चित्र–1 देखें

यदि कमरे के किसी भी दीवार में दरवाजों एवं खिड़कियों की चौड़ाई का योग (B1+B2+B3) एक मंजिल मकान में L के 50 प्रतिशत से ज्यादा हो, अथवा, दो मंजिले मकान में, L के 42 प्रतिशत से ज्यादा हो अथवा, तीन मंजिलें मकान में L के 33 प्रतिशत से ज्यादा हो तो, एकाध खिड़कियों में दीवार जोड़कर, खिड़कियों की चौड़ाई कम कर लें।

यदि, दरवाजों एवं खिड़कियों के बीच दीवार की चौड़ाई, B4, 500 मिलीमीटर से कम हो, अथवा यदि, दीवार के कोने से दरवाजा या खिड़की की दूरी, B5, 450 मिलीमीटर के कम हो, अथवा खिड़की एवं वेन्टीलेटर के बीच दीवार की ऊँचाई, H, 450 मिलीमीटर से कम हो, तो दीवार के उस अंश पर ferrocement plate चढ़ाकर, मजबूती करण करें।

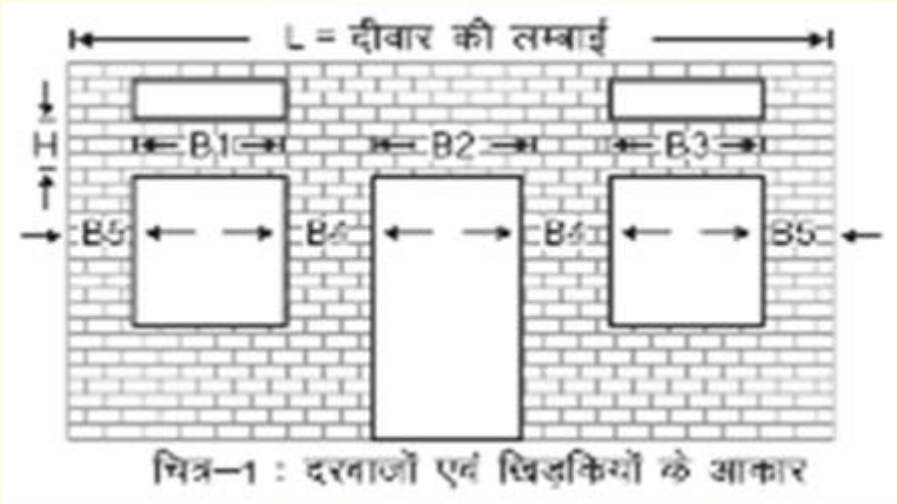

चित्र–1 : दरवाजों एवं खिड़कियों के आकार

3. छत तल का निर्माण

(i) आर.सी.सी. अथवा आर.बी. स्लैब से बना सपाट क्षैतिज छत अच्छा होता है।

(ii) यदि, पूर्वनिर्मित आर.सी.सी. तख्तों को जोड़कर छत बनाया गया हो और तख्तों के ऊपर पतला आर.सी.सी. ढलाई नहीं की गई हो, तो छत की परिधी पर आर.सी.सी. बीम बनाते हुए पतला आर.सी.सी. ढुलाई करें।

(iii) यदि, लकड़ी के घरन के ऊपर खपरैल रखकर छत बनायी गयी हो तो, तिरछी बन्धी नहीं बनायी गयी हो, तो छत के नीचे तान (tie) के साथ तिरछा बन्धनी बनायें।

(iv) यदि, छत jack arch से बनायी गयी हो और छत में तान (tie) नहीं लगायी गयी हो, तो वेल्ड करें (tie) लगाऐं तथा महत्वपूर्ण भवनों में तिरछा बन्धनी भी बनायें।

छत संरचना का निर्माण

(i) आर.सी.सी. अथवा आर.बी. स्लैब से बना सपाट क्षैतिज छत अच्छी होती है।

(ii) यदि, ढलान वाली छत ट्रस से बनाया गयी हो और ट्रस में तिरछा बन्धनी नहीं बनायी गयी हो तो, tie level पर तथा rafter level पर तिरछी बन्धनी बनायें।

(iii) यदि, ढलान वाली छत कड़ी से बनायी गयी हो और कड़ियों (rafters) के बीच तिरछा बन्धनी नहीं बनायी गयी हो, तो लकड़ी की कड़ियों के नीचे तिरछा बन्धनी बनायें तथा आमने-सामने की कड़ियों को Cross tie से बांध दें।

(iv) ढलान वाली छतों की संरचना के ट्रस, पर्लिन अथवा कड़ियों का, उनके आधार प्रदान करने वाली दीवार के साथ जोड़ की जांच करनी चाहिए, अगर जोड़ अपर्याप्त हो, तो उनके संबंधन का उन्नयन करना अनिवार्य होगा।

4. भूकम्परोधी आर.सी.सी. बैंड

(i) यदि, कुर्सी 900 मिलीमीटर या ज्यादा ऊँची हो और कुर्सी स्तर पर बैंड नहीं बनाया गया हो, तो कुर्सी स्तर पर भूकम्परोधी पट्टी (डी.पी.सी.) बनायें।

(ii) यदि, लिंटल स्तर पर, बैंड नहीं बनाया गया हो, तो लिंटल स्तर पर भूकम्परोधी पट्टी (बीम) बनायें।

(iii) भूकम्प जोन V के सभी भवनों में तथा भूकम्प जोन IV के तीन या चार मंजिल के भवनों में, यदि खिड़कियों के सिल्ल स्तर पर बैंड नहीं बनाया गया हो, तो उन भवनों से सिल्ल स्तर पर भूकम्परोधी पट्टी बनायें।

(iv) ढलान वाली छत के नीचे ओलती (eaves) स्तर पर, यदि बैंड नहीं बनाया गया हो तो, ओलती स्तर पर भूकम्परोधी पट्टी बनायें।

(v) दो तरफ ढलान वाली छतों के छोर पर, यदि त्रिकोनी (gable) बैंड नहीं बनाया गया हो, तो त्रिकोनी भूकम्परोधी पट्टी बनायें।

भूकम्प जोन V या IV के सभी भवनों में तथा भूकम्प जोन III के तीन या चार मंजिल के भवनों में यदि, अंदर या बाहर दीवारों के जोड़ पर (कमरों के सभी कोनों पर), दीवार में स्टील के सरिये खड़े नहीं किये गये हो, तो उन भवनों में दीवारों के सभी जोड़ों पर IS : 4326-1993 के अनुसार सरिये खड़े करें अथवा खड़ा भूकम्परोधी पट्टी (कॉलम) बनायें।

1. दरवाजों एवं खिड़कियों के पाख़ों का प्रचलन

भूकम्प जोन V के एक मीटर से बड़े दरवाजों एवं खिड़कियों के दोनों तरफ तथा भूकम्प जोन IV के 2 मीटर बड़े से द्वारों के दोनों तरफ, यदि स्टील के सरिये खड़े नहीं किया गये हो, तो द्वारों की परिधि पर भूकम्परोधी पट्टी (बीम) बनायें।

ईंट जोड़ाई के दीवारों पर आधारित भवनों का भूकम्पीय दृष्टि से सुदृढ़ीकरण तकनीकी भूकम्पीय पट्टियों या प्री स्ट्रेसिंग के द्वारा, दीवारों को एक बक्से की तरह बांधना।

भूकम्पीय पट्टी (बीम) के द्वारा सुदृढ़ीकरण

1. भूकम्पीय पट्टी की स्थिति

(i) सभी दीवारों पर आमने-सामने दोनों सतहों पर, दरवाजों एवं खिड़कियों के लिंटल के ऊपर, छत के नीचे तथा कुर्सी स्तर पर क्षैतिय भूकम्पीय पटटी (बीम) बनायी जाती है।

(ii) अगर छत आर.सी.सी. स्लैब से बनी हो तो, छत के स्तर पर क्षैतिज पट्टी आवश्यक नहीं है। अगर कुर्सी तल की ऊँचाई 900 मिलीमीटर से कम हो, तो कुर्सी स्तर पर क्षैतिज पट्टी आवश्यक नहीं है।

(iii) अगर कमरे की दीवार की लम्बाई 5 मीटर से कम हो तो केवल दीवार के बाहरी सतहों पर, क्षैतिज भूकम्पीय पट्टी बनायी जा सकती है। इसमें, आमने-सामने के दीवारों को सम्बद्ध करने के लिये, ओलती (या छत) स्तर के भूकम्पीय पट्टी को, प्रति 2.5 मीटर की दूरी पर, तान (tie) के सहारे बांध दिया जाता है।

(iv) ढलान छत वाले भवनों में, ओलती स्तर पर (छत के नीचे) एवं त्रिभुजाकार गेवल अंत में भी, भूकम्पीय पट्टी बनायी जाती है। यदि ओलती स्तर एवं लिंटल स्तर के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी 900 मिलीमीटर से कम हो, तो केवल ओलती स्तर पर क्षैतिज पट्टी बनायी जाये एवं लिंटल स्तर पर क्षैतिज पट्टी नहीं बनायी जाये।

(v) कमरों के कोनों और दीवारों के जोड़ों पर ऊर्ध्वाकार भूकम्पीय पट्टी लगाई जाती है।

अधिक जानकारी हेतु जिला स्तर पर सम्पर्क करे
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद

प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करे					
जिला स्तर पर कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद					
S.No.	District	STD Cord	Telephone No		E-Mail
			office	Fax no	
1	अजमेर	0145	2620749	2620749	pd-ajm-rj@nic.in
2	अलवर	0144	2700003	2336101	pd-alw-rj@nic.in
3	बासवाड़ा	02962	240812	248360	pd-ban-rj@nic.in
4	बारां	07453	237223	237223	pd-brn-rj@nic.in
5	बाड़मेर	02982	220292	222041	pd-bar-rj@nic.in
6	भरतपुर	05644	222633	230303	pd-bha-rj@nic.in
7	भीलवाडा	01482	232605	231192	pd-bhi-rj@nic.in
8	बीकानेर	0151	2226004	2204921	pd-bik-rj@nic.in
9	बून्दी	0747	2443596	2443755	pd-bun-rj@nic.in
10	चित्तौड़गढ़	01472	241265	245165	pd-chi-rj@nic.in
11	चूरू	01562	250594	255983	pd-chu-rj@nic.in
12	दौसा	01427	223532	223532	pd-dau-rj@nic.in
13	धौलपुर	05642	220776	220776	pd-dho-rj@nic.in
14	डूंगरपुर	02964	232220	231006	pd-dun-rj@nic.in
15	गंगानगर	0154	2445075	2445081	pd-gan-rj@nic.in
16	हनुमानगढ	01552	261094	263155	pd-han-rj@nic.in
17	जयपुर	0141	2202039	5111469	pd-jaip-rj@nic.in
18	जैसलमेर	02992	252410	252822	pd-jai-rj@nic.in
19	जालोर	07432	230436	230434	pd-jal-rj@nic.in
20	झालावाड	02973	222341	224034	pd-jha-rj@nic.in
21	झुंझुंनु	01592	232318	233773	pd-jhu-rj@nic.in
22	जोधपुर	0291	2650313	2650707	ceo-jod-rj@nic.in
23	करौली	07464	250630	251011	pd-kar-rj@nic.in
24	कोटा	0744	2500508	2320721	pd-kot-rj@nic.in
25	नागौर	01582	240250	242179	pd-nag-rj@nic.in
26	पाली	02932	252806	252809	pd-pal-rj@nic.in
27	प्रतापगढ़	01478	220007	221121	pd-pra-rj@nic.in
28	राजसमन्द	02952	220568	220568	pd-raj-rj@nic.in
29	सवाई माधोपुर	07462	220231	220544	pd-saw-rj@nic.in
30	सीकर	01572	270669	259527	pd-sik-rj@nic.in
31	सिरोही	02972	221058	221973	pd-sir-rj@nic.in
32	टोंक	01432	247117	247117	pd-ton-rj@nic.in
33	उदयपुर	0294	2414428	2412973	pd-uda-rj@nic.in
राज्य स्तर पर					
1	विशिष्ठ शासन सचिव,ग्रामीण विकास, शासन सचिवालय,जयपुर	0141	2227390	2227155	secy-rd-r@nic.in
2	स्टेट नोडल अधिकारी, PMAYG ग्रामीण विकास विभाग अनु–5	0141	2227177	2227379	pdengg_rdd@yahoo.com

"सभी को आश्रय-2022"

प्रधान मंत्री
आवास योजना-ग्रामीण
Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin

अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु क्या करें?

1. पात्रता :- SECC-2011 से तैयार वरीयता सूची के परिवार, वरीयता के आधार पर।
2. आवेदन हेतु सम्पर्क केन्द्र :- ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/टैंग-अधिकारी/ई-मित्र केन्द्र।
3. आवश्यक दस्तावेज :- प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत खुलवाया गया बैंक खाता नम्बर, आधार नम्बर (मय सहमति) नरेगा जॉब कार्ड नम्बर, मोबाईल नम्बर, परिवार के मुखिया की फोटो एवं भूखण्ड/जमीन के दस्तावेज।
4. देय अनुदान :- योजनान्तर्गत अनुदान निम्नानुसार देय होगा :-
   - PMAY-G अनुदान रु. 1,20,00/- तीन किश्तों में
   - महात्मा गांधी नरेगा से 90 अकुशल श्रमिक मानव दिवस का पारिश्रमिक : रु. 17,910/- तक
5. बैंक से आवास ऋण :- राशि रु. 70,000/- तक इच्छुक लाभार्थियों को बैंक से ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जावेगा।
6. **"AwaasApp"** मोबाइल एप का उपयोग :-
   - गूगल प्ले स्टोर से "AwaasApp" डाउनलोड कर योजना की किश्तें आसानी से प्राप्त की जा सकती है।
   - मोबाईल एप का उपयोग कर फोटो अपलोड करने पर किश्त हेतु पृथक से आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. शिकायत/परिवेदना हेतु सम्पर्क सूत्र :-
   - विकास अधिकारी, पंचायत समिति
   - मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद
   - राजस्थान सम्पर्क पोर्टल http://sampark.rajasthan.gov.in/ पर ऑन-लाईन।
   - वेब पोर्ट iay.nic.in पर Public Grievance Redressal System पर ऑन-लाईन।
   - टोल फ्री नम्बर - 181

"मकान से घर"

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी

Website: rdprd.gov.in, pmayg.nic.in